

(रा.सू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
सिवाना जिला बालोतरा
(राजस्थान)

विषय :- राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्ती के सम्बन्ध में ।
महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम राखी की जमाबन्दी संवत् 2077-80 के खाता संख्या 20 में मेरा / हमारे नाम पीरा पुत्र उमर खां सिस्सा 1/10 कोम मुबलमान सा नेह खान सा कोम मुबलमान सा नेह खान सा पीर खान पुत्र उमर खान सिस्सा 1/10 दर्ज है जो अशुद्ध है, जिनके स्थान पर मेरा / हमारे शुद्ध नाम पीर खान पुत्र उमर खान सिस्सा 1/10 है।
अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावे ।
दिनांक :-

10/10/20

हस्ताक्षर प्रार्थी / प्रार्थीगण

रिपोर्ट पटवारी / भू.अ. निरीक्षक

झाधार कार्ड राबानकार्ड में प्रार्थी का नाम पीर खान पुत्र उमर खान लिखा हुआ है तथा राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम पीरा पुत्र उमर खां दर्ज है जो कि अशुद्ध है अतः प्रार्थी का नाम पीरा पुत्र उमर खां का पीर खान पुत्र उमर खान शुद्ध किया जाना उचित है।


 रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अभिलेख निरीक्षक अनुसार उपवर्णित दुरुस्ती किया जाना उचित है ।

Gcms - 2025/607

आदेश

क्रमांक / 1647/


तहसीलदार समदडी
दिनांक 10/10/2025

रिपोर्ट तहसीलदार समदडी अनुसार ग्राम राखी की जमाबन्दी संवत् 2077-80 के खाता संख्या 20 में पीरा पुत्र उमर खां के बजाय सम्मान सूचक इन्द्राज पीर खान पुत्र उमर खान



स्वीकृति पदान
उपखण्ड अधिकारी सिवाना
सिवाना, बालोतरा